

[2023] 3 एस. सी. आर. 47

ए.

एस. मुराली सुंदरम बनाम

जोथीबाई कन्नन और ओआरएस।

(सिविल अपील 2023 की आई. डी. 1) 24 फरवरी, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XLVII r1,s.114-के तहत फैसले की समीक्षा-अपीलकर्ता ने मार्ग के संबंध में तिरुचिरापल्ली नगर निगम के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता की रिट याचिका को अनुमति दी-उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया-इसके बाद, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने उसी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समीक्षा याचिका को अनुमति दी और उसी को गलत ठहराते हुए अपने फैसले को दरकिनार कर दिया-चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यू/या 47 के तहत दायर समीक्षा आवेदन को अनुमति देने में उचित ठहराया हो। आर. 1 सी. पी. सी. और मुख्य रिट याचिका में पारित तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए-आयोजित: यह तय किया गया है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग गलती के सुधार के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया। आर. 1 आर/डब्ल्यू।s.114 सी. पी. सी.-एक बार जब सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्य रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए गिर गई, तो समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय उस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता था-यदि समीक्षा करने के लिए कहा गया निर्णय गलत है, तो यू/या 47 के तहत समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है। आर. 1 लेकिन अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.** पेरी कंसाग्रा के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि धारा **114** सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश **47** नियम **1** के तहत एक आवेदन में समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, समीक्षा न्यायालय अपने स्वयं के आदेश पर अपील में नहीं बैठता है। यह देखा गया है कि मामले की पुनः सुनवाई कानून में अस्वीकार्य है। यह आगे देखा गया है कि समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है। यह देखा गया है कि ए के सुधार के लिए समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

जी.

एच.

47

48 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

एक गलती लेकिन एक दृश्य को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग शक्ति के प्रयोग से संबंधित कानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि यह पूरी तरह से अनुचित है और एक निर्णय को पलटने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा विवाद का अंत में निर्णय लिया गया है। [पैरा **5.1**] [52-सी-ई]

2. शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड के मामले में, यह देखा जाता है

बी.

और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा **114** सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश **47** नियम **1** सी. पी. सी. के तहत समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को फिर से शुरू करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है। यह आगे देखा गया है कि एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश **47** नियम **1** सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। [पैरा **5**] [53-बी-सी]

सी.

3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित कानून को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अदालत की राय है कि वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन को अनुमति देते हुए और **2010** की रिट याचिका में पारित आदेश और आदेश को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और धारा **114** सी. पी. सी.

के साथ पठित आदेश **47** नियम **1** के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के अनुसार **2010** की रिट याचिका **No.8606** में पारित निर्णय और आदेश गलत था। विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने **12.12.2007** की सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन और विचार किया है, जिसे मुख्य रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा लिया गया था और उच्च न्यायालय ने दिनांकित **12.12.2007** की सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया और/या उस पर विचार नहीं किया। एक बार जब मुख्य रिट याचिका पर निर्णय लेते समय **12.12.2007** की सर्वेक्षण रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए गिर गई, तो उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय उस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता था। [पैरा **5.3**] [**53-डी-एफ**]

डी.

ई.

एफ.

जी.

पेरी कंसाग्रा बनाम स्मृति मदन कंसाग्रा, **(2019) 20 एस. सी. सी. 753**; शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। बनाम असम

एस. ई. बी. (2020) 2 एस. सी. सी. 677:2019 (16) एस. सी. आर. 252-निर्भर।

एच.

49

एस. मुराली सुंदरम बनाम ज्योतिबाई कन्नन और ओआरएस।

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2019) 20 एस. सी. सी. 753

उस पर भरोसा करें

पैरा **5.1**

[2019] 16 एससीआर 252

उस पर भरोसा करें

पैरा **5.3**

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील Nos.1167-1170।

बी.

2017 के आर. ए. एम. डी. No.21, डब्ल्यू. पी. एम. डी. Nos.14847,2017 के 16256 और 2017 के सी. पी. एम. डी. No.1109 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

बी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पाराशर, एन. जे. रामचंद्र, एस. राजप्पा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, टी. महेंद्रन, रघुनाथ सेतुपति बी, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, एस. सबरी बाला पांडियन, सुश्री परीक्षा, सुश्री प्रिया आर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

एम. आर. शाह, जे.

1. मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के समीक्षा आवेदन (एम. डी.) No.21 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए पीठ ने 2017 की समीक्षा आवेदन (एम. डी.) No.21 के साथ-साथ 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.14847,2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.1109 में पारित आदेशों के साथ-साथ 2017 की अवमानना याचिका (एम. डी.) No.1109 में आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 2017 के समीक्षा आवेदन No.21 को अनुमति दी है और 2010 की रिट याचिका (एम. डी.) No.8606 में पारित 03.03.2017 के आदेश को दरकिनार कर दिया है।

ई.

एफ.

2. वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा बहुत संकीर्ण कम्पास में है।

2.1 वार्ड 42, ब्लॉक ए. जी. 15, इंडियन बैंक कॉलोनी, सिमको मीटर रोड, तिरुचिरापल्ली तालुक और जिले के नए टी. एस. No.43 में शामिल मार्ग के संबंध में तिरुचिरापल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 17.07.2008 द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की रिट याचिका (एम. डी.) No.8606 को प्राथमिकता दी।प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणय प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण

प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणषप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणषप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीग
 णरप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणओप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणषप्रत्
 यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणऔप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणषप्रत्
 यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणप्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
 प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण।प्रत्यर्थीगणहालांकि, उच्च न्यायालय
 ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अन्य दो पर भरोसा करने का फैसला किया

जी.

एच.

50

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

ए.

रिपोर्ट करता है और परिणामस्वरूप विस्तृत निर्णय और दिनांक 03.03.2017 के आदेश द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति देता है।

2.2 कि इसके बाद प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थीगणों-समीक्षा आवेदकों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के आदेश 47 नियम 1 के तहत 2010 की रिट याचिका (एम. डी.) No.8606 में 2017 का वर्तमान समीक्षा आवेदन (एम. डी.) No.21 दाखिल किया। श्री एस. एम. गजेंद्रन नामक व्यक्ति ने 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.14847 के साथ-साथ 2017 की रिट याचिका (एम. डी.)

No.16256 दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एन. ए. में जांच में दिनांकित 03.07.2017 के आदेश को चुनौती दी गई। का. No.5293/A4/2017 के साथ-साथ Na में दिनांकित 09.06.2017 आदेश। का. No.10048/2016/F1 और प्रत्यर्थागणओं को पंजीकरण निगम द्वारा सात सार्वजनिक सड़कों को निपटाने में निगम के पक्ष में किए गए पंजीकृत उपहार समझौते को स्वीकार करने का निर्देश दें। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने 2017 की समीक्षा याचिका (एम. डी.) No.21 को अनुमति दी है और 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने एस. एम. गजेंद्रन द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका संख्या 14847 और 2017 की 16256 को खारिज कर दिया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने 2017 की अवमानना याचिका No.1109 को भी खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश और मुख्य रूप से समीक्षा आवेदन की अनुमति देना वर्तमान अपीलों का विषय है।

बी.

सी.

डी.

2.3 अपीलार्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन को अनुमति देने में गलती की है और 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 के फैसले और आदेश को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

ई.

एफ.

2.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा आवेदन को अनुमति देते हुए और मुख्य रिट याचिका में पारित आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। 2.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा आवेदन को अनुमति देते समय उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो इसमें निहित नहीं है।

जी.

2.6 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इस तरह किया है जैसे कि उच्च न्यायालय ए के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।

एच.

51

एस. मुराली सुंदरम बनाम ज्योतिबाई कन्नन और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2010 की रिट याचिका No.8606 में दिनांकित 03.03.2017 का निर्णय और आदेश जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। के निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है

पेरी कंसाग्रा बनाम स्मृति मदन कंसाग्रा, **(2019) 20 एस. सी. सी. 753** के साथ-साथ शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय। बनाम असम एस. ई. बी. **(2020) 2 एस. सी. सी. 677।**

2.7 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के अनुसार और इस प्रकार विवादित निर्णय और आदेश में देखा गया है, 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 का निर्णय और आदेश गलत था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि एक गलत आदेश समीक्षा का विषय और एक गलत आदेश नहीं हो सकता है, हालांकि इसे समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन आधारों पर समीक्षा आवेदन दायर किया गया था और जिन आधारों पर समीक्षा आवेदन की अनुमति दी गई थी, उन पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर निर्णय लेते समय विचार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभिलेख के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी और/या अभिलेख के चेहरे पर कोई गलती नहीं थी जिसे समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ठीक किया जा सकता था।

बी.

सी.

डी.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

3. वर्तमान अपीलों का चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थीगण समीक्षा आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पद्मनाभन द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है। समीक्षा आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि 2010 की

रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय ने गलती से सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया और निजी रिपोर्टों पर भरोसा किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की धोखाधड़ी मूल रिट याचिकाकर्ता के साथ-साथ एस. एम. गजेंद्रन द्वारा की गई थी क्योंकि उन्होंने जाली रिपोर्ट/दस्तावेजों पर भरोसा किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 दिनांकित पूर्व आदेश गलत था और इसलिए, उच्च न्यायालय 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश को रद्द करने में उचित है।

ई.

एफ.

जी.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

4. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

एच.

52

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

5. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत दायर समीक्षा आवेदन को अनुमति दी है और 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित 03.03.2017 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया है। समीक्षा आवेदन को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2010 की रिट याचिका No.8606 में 03.03.2017 दिनांकित पूर्व निर्णय और आदेश गलत था। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठाया जाता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत दायर समीक्षा आवेदन को अनुमति देने और मुख्य रिट याचिका में पारित तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश को दरकिनार करने में उचित है?

बी.

सी.

5.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय सी. पी. सी. की धारा 114 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 पर इस न्यायालय के दो निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है?पेरी कंसाग्रा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत एक आवेदन में समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, समीक्षा न्यायालय अपने स्वयं के आदेश पर अपील में नहीं बैठता है। यह देखा गया है कि मामले की पुनः सुनवाई कानून में अस्वीकार्य है। यह आगे देखा गया है कि समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है। यह देखा गया है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग शक्ति के प्रयोग से संबंधित कानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि यह पूरी तरह से अनुचित है और एक निर्णय को फिर से लिखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा विवाद का अंत में निर्णय लिया गया है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित समीक्षा शक्तियों और सिद्धांतों के प्रयोग पर निर्णयों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा था:

डी.

ई.

“(i) समीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। (ii) जब अभिलेख के तथ्य पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट पाई जाती है तो समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अभिलेख के सामने त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल अभिलेख को देखने पर ही आनी चाहिए और उन बिंदुओं पर तर्क की किसी भी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी जहां दो राय हो सकती हैं।

एफ.

जी.

((ग) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था।

((iv) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी भी पर्याप्त कारण के लिए भी किया जा सकता है जो अदालत या यहां तक कि एक अधिवक्ता द्वारा तथ्य या कानून की गलत धारणा को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

एच.

ए.

(v) एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट सिद्धांत को लागू करने के माध्यम से समीक्षा के लिए एक आवेदन की आवश्यकता हो सकती है।”

5.2 उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि एक त्रुटि जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाने की आवश्यकता होती है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि कहा जा सकता है।

बी.

5.3 शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, यह है

यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को फिर से शुरू करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है। यह आगे देखा गया है कि एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है।

सी.

इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित कानून को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन को अनुमति देते हुए और 2010 की रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के अनुसार 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित निर्णय और आदेश गलत था। विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने 12.12.2007 की सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन और विचार किया है, जिसे मुख्य रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा लिया गया था और उच्च न्यायालय ने दिनांकित 12.12.2007 की सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया और/या उस पर विचार नहीं किया। एक बार जब मुख्य रिट याचिका पर निर्णय लेते समय 12.12.2007 की सर्वेक्षण रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए गिर गई, तो उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय उस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता था।

डी.

ई.

एफ.

5.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन का निर्णय इस तरह किया है जैसे कि उच्च न्यायालय 2010 की रिट याचिका (एम. डी.) No.8606 में पारित दिनांकित 03.03.2017 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था, जो धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा आवेदन पर विचार करते समय पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

जी.

एच.

54

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

5.5 पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से पैराग्राफ 33 में निम्नानुसार देखा गया है:

“33. समीक्षा आवेदन पर विचार करते समय इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त कानूनी प्राचार्यों को ध्यान में रखा गया था। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए, जो अभिलेख पर उपलब्ध थी और जिसमें आधिकारिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लर्नड रिट कोर्ट द्वारा रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थना पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए था। इससे एक त्रुटि हुई है, जो आदेश के सामने प्रकट होती है। इसके अलावा, अदालत इस आधार पर आगे बढ़ी कि एस. एम. गजेन्द्रन ने बिना किसी तथ्य के एक उपहार विलेख को निष्पादित किया था कि उपहार विलेख एक दस्तावेज था, जिसे उनके द्वारा एकतरफा रूप से निष्पादित किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसे एक वैध उपहार नहीं माना जा सकता था। ये तथ्य लंबे तर्क की आवश्यकता के बिना रिट याचिका में पारित आदेश के तथ्य पर सामने आए हैं। इसलिए, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हम अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित हैं। उपरोक्त कारणों से, हमारा स्पष्ट विचार है कि रिट याचिका में पारित आदेश समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देने वाले अभिलेखों के तथ्य पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है।”

बी.

सी.

डी.

5.6 उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन पर विचार किया है जैसे कि यह 2010 की रिट याचिका No.8606 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भले ही जिस निर्णय की समीक्षा करने की मांग की गई है वह गलत है, लेकिन यह आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी समीक्षा करने का आधार नहीं हो सकता है। एक त्रुटिपूर्ण आदेश उच्च मंच के समक्ष अपील के अधीन हो सकता है लेकिन आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हमारी राय है कि वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन को अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और धारा 114 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने समीक्षा आवेदन को अनुमति दी है और रिट ए में पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द कर दिया है।

जी.

एच.

55

एस. मुराली सुंदरम बनाम ज्योतिबाई कन्नन और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

2010 की याचिका (आई. डी. 1) अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

6.1 चूंकि अवमानना याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित दिनांक 03.03.2017 के आदेश को दरकिनार करने पर, समीक्षा याचिका में पारित आदेश को दरकिनार करने और परिणामस्वरूप 2010 की रिट याचिका No.8606 में पारित दिनांकित 03.03.2017 के आदेश को बहाल करने पर खारिज कर दिया गया है, इसलिए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया जाना है और मामले को कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना है।

बी.

6.2 इसी तरह 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.14847 और 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.16256 को खारिज करने के आदेश को भी रद्द किया जाना है और खारिज कर दिया जाना है और उक्त रिट याचिकाओं को कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना है।

सी.

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, 2017 की समीक्षा याचिका (एम. डी.) No.21 में विवादित निर्णय और दिनांक 29.06.2021 के आदेश से उत्पन्न नागरिक अपील की अनुमति दी जाती है और उसी आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और 2010 की रिट याचिका (एम. डी.) No.8606 में पारित 03.03.2017 के निर्णय और आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।

डी.

नतीजतन, 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.14847 और 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.16256 को खारिज करने और 2017 की अवमानना याचिका (एम. डी.) <आई. डी. 2 को खारिज करने से उत्पन्न होने वाली शेष अपीलों को भी अनुमति दी जाती है और उक्त आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है और 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.14847 और 2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.16256 और 2017 की अवमानना याचिका No.1109 को कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुण-दोषों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है, जिसके लिए इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के पक्ष में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

ई.

एफ.

वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.